यालय उपखण्ड अधिकारी भीण्डर, जिला – उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री रमेश सीरवी पुनाड़ियां R.A.S.

GCMS प्रकरण संख्या 2022 / 75

प्रकरण संख्या 41 / 22

अनवान

1. श्री हिम्मतलाल उर्फ हेमराज शर्मा पिता शंकरलाल जी शर्मा निवासी नया बाजार कानोड तहसील कानोड जिला उदयपुर राज0।

बनाम

1. श्री श्री हिरालाल पिता शंकरलाल जी मेनारिया निवासी सुरजपोल दरवाजे के बाहर कानोड तहसील कानोड जिला उदयपुर राज0।
2. श्री धनराज पिता शंकरलाल जी मेनारिया निवासी सुरजपोल के बाहर कानोड तहसील कानोड जिला उदयपुर राज0।
3. श्री राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार कानोड जिला उदयपुर राज0।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू. राजस्व अधिनियम 1956

—: : निर्णय : :— दिनांक :—22.09.2022

1. प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम प्रस्तुत किया गया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि मौजा बोलियो का साथ पटवार हल्का कानोड तहसील कानोड की खाता संख्या 181 आराजी नम्बर 909, 910 रकबा 1.2000 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी के संयुक्त खातेदार की भूमि है यह की प्रार्थी को जन्म से हेमराज एवं हिम्मतलाल शर्मा दानो नामों से जाना जाता है तथा प्रार्थी के दोनो नाम होने से सरकारी रेकर्ड, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड में उसका नाम हिम्मत लाल शर्मा है जबकि जमाबंदी में हेमराज दर्ज हो गया है जिसे दुरस्त कर अपना मुल नाम हिम्मतलाल पिता शंकरलाल शर्मा दर्ज किये जाने का निवेदन किया है।

2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर विपक्षी को जरिये नोटिस सम्मन तलब किया गया। प्रकरण में विपक्षी संख्या 1 से 2 की तरफ से जवाब पेश किया जिसमें प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं जताई। प्रकरण में तहसीलदार कानोड द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि जिसमें प्रार्थी हिम्मतलाल शर्मा का नाम मुताबिरान एवं प्रार्थी के आधार कार्ड, राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र के आधार पर मौजा बोल्यों का साथ पटवार हल्का कानोड खाता संख्या 181 में प्रार्थी का नाम हेमराज पुत्र शंकरलाल शर्मा के बजाय हिम्मतलाल पुत्र शंकरलाल शर्मा किये जाने की अनुशंषा की।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2022.10.17 12:59:20 IST
Reason: SelfAttested

3. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। प्रकरण में उभय पक्ष की

बहस सुनी। बहस में प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया व प्रार्थना पत्र स्वी... किये जाने का निवेदन किया। विपक्षी द्वारा प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने में अपनी सहमति जताई। हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया प्रार्थी के कथनानुसार ग्राम बोल्यों का सा... पटवार हल्का कानोड तहसील कानोड की आराजी नम्बर 909, 910 में प्रार्थी का नाम हेमराज पुत्र शंकरलाल दर्ज है जबकि प्रार्थी का वास्तविक नाम हिम्मतलाल पुत्र शंकरलाल है जिसे दुरस्त किये जाने का निवेदन किया। विपक्षी द्वारा प्रकरण में अपना जवाब प्रस्तुत कर प्रार्थन पत्र स्वीकार किये जाने में अपनी सहमति जताई। प्रकरण में तहसीलदार कानोड की रिपोर्ट से यह पाया की प्रार्थी के आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर कार्ड व मोतबिरान के अनुसार प्रार्थी का वास्तविक नाम हिम्मतलाल पुत्र शंकरलाल है व नाम संशोधन की अनुशंषा की। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में नगरपालिका कानोड का प्रमाण पत्र, कार्यालाय ग्राम पंचायत सांरगपुर कानोड का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जिसके अनुसार प्रमाणित किया गया की हिम्मतलाल उर्फ हेमराज शर्मा पुत्र शंकरलाल शर्मा दोनो नाम एक ही व्यक्ति के है व व्यक्तिगत रूप से जान... बताया। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में अन्य दस्तावेज के रूप में पहचान पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड की प्रति पेश की जिसमें प्रार्थी का नाम हिम्मतलाल पुत्र शंकरलाल शर्मा अंकित है।

4. अतः उपरोक्त विवेचन एवं तहसीलदार कानोड की रिपोर्ट व अनुशंषा, प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर यह स्पष्ट है कि हेमराज पुत्र शंकरलाल व हिम्मतलाल पुत्र शंकरलाल एक ही व्यक्ति के नाम है। प्रार्थी के आधार कार्ड, राशन कार्ड, पहचान पत्र में प्रार्थी का नाम हिम्मतलाल पुत्र शंकरलाल अंकित है जबकि जमाबंदी में प्रार्थी का नाम हेमराज पुत्र शंकरलाल अंकित है जिससे प्रार्थी को कठिनाई हो रही है जिससे सुधारा जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।

—: : आदेश : :—

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Rumadia
Date: 2022.10.17 12:59:20 IST
Reason: SelfAttested

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा ... राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा बोल्यों का साथ पटवार हल्का कानोड तहसील कानोड की खाता संख्या 181 आराजी नम्बर 909, 910 में प्रार्थी का नाम हेमराज पुत्र शंकरलाल के बजाय हिम्मतलाल पुत्र शंकरलाल संशोधन किये जाने के आदेश दिये जाते है। शेष बदस्तुर रहें। । पालना हेतु तहसीलदार कानोड को लिखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले ईजलास आज दिनांक 22.09.2022 को सुनाया गया।